


प्रकाशन सूचना

तृतीय वाहिनी, भा०ति०सी०पु० बल के निष्प्रयोजित वाहन सं० CH01G1-0776 TATA Sumo की नीलामी हेतु उप महानिरीक्षक, क्षे०मु० (बरेली), भा०ति०सी०पु० बल के निर्णय के अनुसार वाहन सं० CH01G1-0776 TATA Sumo निर्माण वर्ष 2002 की नीलामी क्षे०मु० (बरेली), भा०ति०सी०पु० बल के कैम्प में दिनांक 04.10.19 समय 1000 बजे की जानी है। उक्त वाहन की बोली क्षे०मु० (बरेली), भा०ति०सी०पु० बल बुखारा कैम्प के प्रांगण में आये हुए बोली दाताओं के सामने की जायेगी। वाहन का निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान किया जा सकता है। वाहन की नीलामी "जहां है, जैसे है" के आधार पर की जायेगी। नीलामी हेतु आप सभी इच्छुक बिडर आमंत्रित हैं। सफल बोलीदाता द्वारा 25 प्रतिशत की धनराशि नगद जमा की जाएगी तथा शेष 75 प्रतिशत राशि 05 दिनों के अन्दर नगद जमा करेगा। यदि नीलामी की दी गयी तिथि को अवकाश रहता है तो नीलामी की कार्रवाई अगले कार्यदिवस की तिथि को उसी समय पर होगी। यह नीलामी सूचना भा०ति०सी०पु० बल की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। इच्छुक बिडर नोटिस/सम्बन्धित को वेबसाइट से भी डाउनलोड/पढ सकते हैं।

शर्तें -

1. नीलामी "जहां है, जैसे है" के आधार पर होगी।
2. अरनेस्ट मनी रू० 20,000/- नगद, बोलीदाताओं को बोली से पहले जमा करानी होगी।
3. उच्च बोलीदाता को वाहन बेचा जाएगा।
4. उच्च बोलीदाता अपने खर्च पर वाहन को 05 दिनों के भीतर अपनी पूरी राशि जमा करने के उपरान्त क्षे०मु० (बरेली) प्रांगण से ले जाना होगा अन्यथा पार्किंग चार्ज प्रतिदिन रू० 500/- के हिसाब से लिया जाएगा।
5. उच्च बोलीदाता अपना स्क्रेप डीलर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एवं पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड या अन्य एड्रेस प्रूफ) वाहन ले जाने से पूर्व जमा करेगा।
6. किसी भी प्रकार की कोई शर्त या ऑफर को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
7. अन्य शर्तों को नीलामी स्थल पर ही नीलामी से पूर्व बताया जाएगा।
8. वाहन से सम्बन्धित NOC/RC या अन्य कोई भी दस्तावेज लिखकर विभाग द्वारा नहीं दिया जाएगा।
9. उच्च बोलीदाता द्वारा नीलामी में दी गयी दरों को स्वीकृत/रद्द करने के सभी अधिकार (बिना कुछ बताए) संस्थान के पास सुरक्षित हैं।
10. अरनेस्ट मनी नीलामी से पहले जमा की जाएगी, जिसको सफल बोलीदाता द्वारा लगाई गई बोली से अरनेस्ट मनी की धनराशि को कम कर शेष राशि को जमा करना होगा।
11. अरनेस्ट मनी बोली से पहले जमा की जाएगी, जो कि सफल बोलीदाता को छोड़कर अन्य बोलीदाताओं को बोली समाप्ति के उपरान्त वापस कर दी जाएगी।
12. जिन बोलीदाताओं के पास स्क्रेप डीलर सर्टिफिकेट होगा, वही बोली में भाग ले सकेंगे तथा मूल दस्तावेजों को साथ लाना होगा तथा सफल बोलीदाता द्वारा वाहन की नीलामी के उपरान्त प्रमाणित कर संस्थान में जमा किया जाएगा।
13. वाहन की नीलामी के उपरान्त वाहन केवल स्क्रेप के रूप में प्रयोग किया जाएगा।
14. नीलामी के उपरान्त सफल बोलीदाता द्वारा लगाई गई बोली पर 18 प्रतिशत जी०एस०टी० की राशि का अतिरिक्त भुगतान नगद जमा करना होगा।


उप महानिरीक्षक

क्षे०मु०(बरेली),भा०ति०सी०पु० बल

Date — 16.8.19

PUBLICATION NOTICE

SHQ (Brly) I.T.B.P. Force is dispose off the unserviceable vehicle of 3rd Bn, I.T.B.P. Force bearing registration no. CH01G1-0776 TATA Sumo make year 2002 lying at SHQ (Brly), Bukhara Camp.

Auction will be held at SHQ (Brly), Bukhara Camp, Bareilly (UP) on 04/10/19 at 1000 am in the presence of scrap dealers who may like to attend. Auction will be held on "as is where is basis". The vehicles can be inspected on any working day at above said place during official hours.

You are invited to participate in verbal auction. Highest bidder will have to deposit 25% of the bid amount in cash in favour of DIG, SHQ (Brly) offered by him/them at the time of fall of hammer/auction and balance payment i.e. 75% by cash be deposited within five days from the date of auction. If the above said date becomes holiday, the open market auction will be held on next working days at the same time and same place. This notification is also available on I.T.B.P. website. Interested bidders can download the bidder documents/information.

Conditions —

- 1- Auction will be held on "As is where is basis".
- 2- Deposit of earnest money of Rs. 20,000/- in cash before participating in auction through cash.
- 3- Highest bidder will be sold the vehicle.
- 4- Highest bidder will have to take the vehicle on his own cost within 05 days after deposition of full payment; otherwise parking charges shall also be levied Rs. 500/- per day.
- 5- Highest bidder has to submit scrap dealer certificate and his/her identity (Aadhar card, Voter I. Card, PAN card or any other authentic proof) to deptt. Before taking away the vehicle.
- 6- No condition offer shall be entertained.
- 7- Other terms and conditions shall be declared at the spot during the auction.
- 8- No. NOC/RC and other documents shall be given/issued by the department.
- 9- Department reserves the right to accept or reject the highest bidder or oral auctioneer without giving any clarification.
- 10- The earnest money deposited before the start of the auction shall be adjusted with balance amount of highest bidder.
- 11- Earnest money deposited before start of auction shall be returned back to the bidder except highest bidder after the auction is completed.
- 12- Only certified/authorised scrap dealer can participate in verbal auction.
- 13- Auctioned Vehicle can be used only for Scrap.
- 14- After completion of verbal auction, 18% GST charges will be given on highest bid by successful bidder.


Dy Inspector General 1619111
SHQ (BRLY), I.T.B.P. Force